सेवामें,                                                                           दिनांक:————–
प्रबंधक महोदय,
——————-
——————-

विषय: माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश WP(C) DIARY No. 10983 दिनांक 12.06.2020 के अनुपालन के सन्दर्भ में

महाशय,
मैं——————————–पता———————————— आपका स्थाई/अस्थाई कर्मचारी हूँ. जो कि आपके कंपनी/दुकान/फैक्ट्री/होटल/सिनेमाघर/मॉल/रेस्टोरेंट/विभाग में पिछले ——–महीने/साल से …………………………………..कंपनी/ मालिक का पूरा पता ——————————में ————–(पद का नाम) पर कार्यरत हूँ. उपरोक्त विषयक सन्दर्भ में कहना है कि

यह कि केंद्र सरकार एक आदेशनुसार लॉकडाउन उपरोक्त स्टैब्लिशमेंट में दिनांक ——-से ——–तक आंशिक/ पूर्ण रूप से बंद था. गृह मंत्रालय ने के आदेश दिनांक 29.03.2020 के अनुसार लॉकडाउन में कोई भी नियोक्ता बंदी के दौरान किसी भी कर्मचारी को न तो वेतन देने में विलम्ब करेगा और न ही वेतन में कटौती नहीं करेगा.

यह कि इसी आदेश का आलोक में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 12.06.2020 को आदेश जारी किया. जिसमें कोर्ट ने कहा कि उद्योग और मजदूर दोनों को एक-दूसरे की जरूरत है. इसके विपरीत कोई भी उद्योग या प्रतिष्ठान कर्मचारियों / मजदूरों के बिना जीवित नहीं रह सकता.

यह कि माननीय कोर्ट ने कहा कि हम इस प्रकार से राय रखते हैं कि श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच 50 दिनों के ऊपर के वेतन के भुगतान के संबंध में मतभेदों और विवादों को सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए.

यह कि लॉकडाउन के दौरान——से ——-तक बंदी का सैलरी नहीं दी/ सैलरी में कटौती कर ली है. जो कि लगभग —————– रुपया हैं. जिसका ब्रेक-अप कुछ इस प्रकार से हैं-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Month | Days | Salary |
| Mar-20 |   |   |
| Apr-20 |   |   |
| May-20 |   |   |
| Jun-20 |   |   |
| Total |   |   |

यह कि लॉकडाउन में सैलरी नहीं मिलने से मुझे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा हैं फिर भी माननीय कोर्ट के उपरोक्त आदेश के अनुसार आपसी बातचीत के लिए तैयार हूँ.

अतः, श्रीमान से अनुरोध हैं कि माननीय कोर्ट के आदेशानुसार जल्द से जल्द मेरे उपरोक्त बकाया राशि कुल ———–रुपया को बातचीत के द्वारा निपटान करने की कृपा की जाए.

आपका विश्वासी:

हस्ताक्षर/नाम:
पूरा पता:
मोबाइल नंबर
ईमेल आईडी